उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या :97/2016/1471/छप्पन-2016-37/2014

लखनऊ : दिनांक : 19 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धिपत्र

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन अनुरक्षण सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई, उ0प्र0, लखनऊ में वायुयान एवियानिक्स अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 81/16/1062/छप्पन-2016-37/14, दिनांक 18.9.2016 द्वारा श्री बसन्त कुमार द्विवेदी को रूपये 2.10 लाख (रूपये दो लाख दस हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 01-9-2016 से अग्रेतर एक वर्ष (अर्थात दिनांक 31-8-2017 तक) के लिए संविदा अवधि पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ायी गयी थी।

2- उक्त् कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-9-2016 में संविदा अवधि दिनांक 25-8-2016 से दिनांक 24-8-2016 (एक वर्ष) के स्थान पर 01-9-2016 से दिनांक 31-8-2017 (एक वर्ष) अंकित हो गया है। इसे दिनांक 25-8-2016 से अग्रेतर एक वर्ष (अर्थात दिनांक 24-8-2017 तक) होना चाहिए। अत: श्री बसन्त कुमार द्विवेदी की संविदा अवधि दिनांक 25-8-2016 से अग्रेतर एक वर्ष (अर्थात् दिनांक 24-8-2017 तक) पढा जाय।

3- अत: कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-9-2016 को उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उक्त तिथि को संशोधित समझा जाय।

एस0के0 रघुवंशी
सचिव।

श्री बसन्त कुमार द्विवेदी, (संविदा)
वायुयान एवियानिक्स अनुरक्षण अभियंता,
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

---2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 1471(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि श्री बसन्त कुमार द्विवेदी, वायुयान एवियानिक्स अनुरक्षण अभियन्ता से निर्धारित प्रपत्र पर संशोधित अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- उप महालेखाकार ई0एस-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।
8- कार्मिक अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।